



Criminal Misc. Cases/1244/2026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (ई.सी.ऐक्ट), आजमगढ़।  
उपस्थित: ओम प्रकाश मिश्र-III (एच०जे०एस०) (JO Code No.- UP2671)  
स्टेट बनाम राणा प्रताप सिंह।  
मु०अ०सं०- 3826/2023  
धारा- 135 विद्युत अधिनियम।  
थाना-एन्टी पावर थैप्ट, जिला आजमगढ़।

दिनांक -09.05.2026

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है।

विद्युत विभाग/परिवादी की ओर से श्री संतोष (कार्यकारी सहायक) उपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा- 152 के अंतर्गत शमनीय धनराशि जमा कर दी गयी है। उक्त के संबंध में रसीद/प्रपत्र कागज सं० 8 क पत्रावली पर संलग्न हैं।

परिवादी/विद्युत विभाग की ओर से अंतिम रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। अभियुक्त को भी अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली, अंतिम रिपोर्ट, शमनीय रसीद/प्रमाण पत्र तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। चूँकि अभियुक्त द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा-152 के अंतर्गत निर्धारित शमनीय धनराशि जमा कर दी गयी है। अतः इस आपराधिक कार्यवाही को आगे जारी रखने का कोई औचित्य शेष नहीं है। विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

#### आदेश

विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। अभियुक्त राणा प्रताप सिंह को इस प्रकरण में मुक्त किया जाता है। यदि कोई जमानतनामा/बंधपत्र हो निरस्त किया जाता है तथा जमानतदारों को दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। माल/दस्तावेज यदि कोई हो, नियमानुसार निस्तारित किया जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 09.05.2026

( ओम प्रकाश मिश्र-III)  
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.ऐक्ट)/  
अपर सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।  
JO Code No.- UP2671